कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

तकनीकी स्वीकृति आदेश

आदेश क्रं/एफ–3/79/2016/10–11/9/50 भोपाल, दिनांक 14-10-2020

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत नई गाईड लाईन जो कि दिनांक 08.03.2019 से प्रभावशील होने के निर्देश एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0प्र0 भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ–3/2019/10–11/03, दिनांक 31.05.2019 से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 04.09.2019 को आयोजित की गयी। बैठक में **हिरन मीडियम टैंक प्रोजेक्ट** के केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान का परीक्षण करने पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/एफ–3/79/2016/10–11/9/39, दिनांक 27.08.2020 से केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की तकनीकी रवीकृति जारी की गई थी।

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/2518/कार्य/2020 दिनांक 13.10.2020 से अवगत कराया है कि शुद्ध वनक्षेत्र 12.58 वर्ग कि.मी. उपचार हेतु उपलब्ध है। वनक्षेत्र 12.58 वर्ग कि0मी0 के लिये जल ग्रहण क्षेत्र के उपचार हेतु राशि रू. 147.00 लाख की पुनरीक्षित एवं संशोधित डी.पी.आर. पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु प्रेषित किया है।

अतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक/एफ–3/79/2016/10–11/9/39, दिनांक 27.08.2020 से केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की राशि रू. 5,55,50,000 की तकनीकी स्वीकृति एतद द्वारा निरस्त की जाकर निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है :–

क्र0	कार्य का नाम	रकबा वर्ग कि0मी0 में	राशि (रूपये में)
1	जल ग्रहण क्षेत्र उपचार	12.58	1,47,00,000
	जल ग्रहण क्षेत्र में आ रहे ग्रामों के निवासियों के लिये सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों के लिये		14,70,000
	योग–	12.58	1,61,70,000

राशि रूपये एक करोड़ इकसठ लाख सत्तर हजार (जल ग्रहण क्षेत्र उपचार की राशि रू. 1,47,00,000 एवं जल ग्रहण क्षेत्र में आ रहे ग्रामों के निवासियों के लिये सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों के लिये 10 प्रतिशत की राशि रू. 14,70,000/–)

प्रकरण में पूर्व में जारी की गई तकनीकी स्वीकृति में उल्लेखित शर्तें यथावत रहेंगी।

14/10/2020

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रं / एफ–3 / 79 / 2016 / 10–11 / 9 / 3495 भोपाल, दिनांक 14-10-2020

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, जल संराधन विभाग, 1250, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) जबलपुर वृत्त, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
5. वनमण्डलाधिकारी, सा0 वनमंडल जबलपुर, मध्यप्रदेश, की ओर उक्त केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान की प्रति संलग्न है। इस परियोजना की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने पर इस कार्य के लिए राशि की मांग कैम्पा शाखा से करें।
6. कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्तानुसार केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की राशि ई–पोर्टल पर कैम्पा मद मे जमा करें।

संलग्नः–अनुक्रमांक 1 एवं 5 के लिए केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान की प्रति।

14/10/2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3(Part-I).docx